



# S. S. DEVELOPERS

(Builders & Developers)

NEW SUBHASH COLONY, SANJAY PATH, MANGO, JAMSHEDPUR

Ref. No. ....03/2020

Date..01..10..2020..

This is to certify that our Turn Over from January' 2018 on -  
wards is as under :-

1. January 2018 to December' 2018	-	1,48,87,368.00
2. January 2019 to December' 2019	-	1,04,09,031.00
3. January 2020 to September' 2020	-	40,15,950.00
4. Expected up to December' 2020	-	40,00,000.00

As figures taken from book of Accounts.

for S. S. DEVELOPERS

For S. S. DEVELOPERS  
*Subham Chandra Mondal*

Partner

Partner



## TO WHOM IT MAY CONCERN

This is certify that I Subhash Chandra Moonka S/o. Late Banarsilal Moonka resident of "Asha" 9<sup>th</sup> Avenue, South Park, P. O. & P. S. Bistupur, Jamshedpur - 831001 is in Builder's Business since 2009. Enclose please find Permit No. 27562 dt 30.04.2009 and Permit No. 28091 dt 23.06.2012 against which Two Projects has been completed.

Further I am power of Attorney holder of Geeta Devi Burman, Gurudwara Basti, Mango, and as a Developer of her Property.

We S. S. Developer's have completed a Project at Sanjay Path, Mango from 18.04.2016 to 18.10.2019.

Presently I am Partner of M/s. S. S. Developer's, Office at "Asha" 9<sup>th</sup> Avenue, South Park, PO + PS - Bistupur, Jamshedpur - 831001.

So, I am having Experience of 11 Years.

*Subhash Chandra Moonka*  
01/10/2020  
S. C. MOONKA



# जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति

जमशेदपुर - 831001

झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2000 की धारा 188 एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम की कडिका 7.1 के तहत स्वीकृति)

बिल्डींग परमिट संख्या ...28091...

दिनांक...23/6/12...

सेवा में,

श्री सुभाष चन्द्र मुनका

आशा 9th Avenue साउथ पार्क

बिष्टपुर, जमशेदपुर।

महाशय,

प्लॉट संख्या - 23 (पी0), 26 (पी0) नया 635, 636, खाता संख्या - पुराना 5, 6, नया 115, मौजा-सोनारी, थाना नं0-1156, जमशेदपुर पर आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में Lower Ground (Parking)+Upper Ground Floor +1st Floor+2nd Floor ऊँचाई 10.50 मी0, इकाई 6 (छः) अदद के आवासीय भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है।

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाए जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या एवं निर्माण क्षेत्र (Bulitup Area) में वृद्धि नहीं होगी।
3. भवन प्लान में सेट बैक एवं ड्राइव वे के लिये दिखायी गयी खूली जगह एवं अन्य खूली जगह में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।
4. निर्माण की गुणवत्ता झारखंड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माणकार्य एवं सरंचना के सही रूपांकन अद्यतन भारतीय मानकों (Indian Standered) के साथ-साथ भूकम्प रोधी मानक के आधार पर किया जाय। निर्माण कार्य सरंचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
5. निर्माणकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता को निर्माण कार्य आरम्भ होने की सूचना विशेषकर कर प्लीन्थ/भूमि तल निर्माण हो जाने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को देनी होगी एवं दस दिनों के अन्दर इसकी जाँच कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
6. निर्माणकर्ता को विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के साथ-साथ ट्रान्सफरमर की व्यवस्था करनी होगी। विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक रूप से पर्याप्त क्षमता वाला ध्वनी वा प्रदूषण रहित जनरेटर लगाना होगा।
7. जल उपलब्धता के लिये डीप बोरिंग नहीं करना होगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी। आवश्यक क्षमता का सेंटिक टैंक व सोक पीट का निर्माण करना होगा।
8. अग्नि सुरक्षा के लिए पर्याप्त क्षमता के डी0सी0पी0 का प्रावधान करना होगा।
9. Rain water Harvesting के साथ Ground water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50% फ्लाई ऐश ब्रीक्स (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।
11. चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेंवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन-उपनियम के अनुसार किया जायेगा। विद्युत तडित चालक (Lightning Conductor) की व्यवस्था मानक के अनुसार निश्चित रूप से करनी होगी।
12. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड (सूचना पट्ट) लगाना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम एवं पता, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा स्वीकृत भवन प्लान का परमिट संख्या कुल स्वीकृत तल एवं स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा।
13. स्वीकृत भवन प्लान की वैधता तीन वर्ष तक रहेगी तथा जमीन के आवासीय उपयोग रकबा सक्षम पदाधिकारी से संशोधित कराना होगा। इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को विहित प्रपत्र में सूचना देनी होगी तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
14. अक्षेस के प्लानिंग स्टेनडर्ड एवं बिल्डिंग बाइलज 2007 में वर्णित अन्य प्रभावी कंडिकाओं का पालन करना होगा। भवन निर्माण के दौरान जमशेदपुर अक्षेस द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. झारखंड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 में वर्णित संबंधित कंडिकाओं का पूर्णतः पालन करना होगा।
16. भवन प्लान की स्वीकृति से प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि/किसी अन्य की टाइटिल वाली भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जायेगा, अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
17. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने पर बिल्डिंग परमिट को रद्द करने का अधिकार जमशेदपुर अक्षेस को होगा।

कनीय अभियन्ता,

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।

संयोजक अभियन्ता,

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।

विशेष पदाधिकारी,

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।



नगरपालिका अधिनियम 2000 की धारा 188 एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम की कडिका 7.1 के तहत स्वीकृति  
बिल्डींग परमिट संख्या 27562 दिनांक 30/4/09

सेवा में,

श्री सुभाष चंद्र मुनका,  
आशा 9, एवीन्यू साउथ पार्क  
बिष्टपुर, जमशेदपुर।

महाशय,

पुराना प्लॉट सं० - 23, 26 एवं 30, खाता सं० - 5, 6 एवं 12, मौजा - सोनारी, (नया प्लॉट सं० - 635,636 एवं 637) खाता सं० - 115 एवं 169 (वार्ड सं० - 1 अक्षेस) जमशेदपुर पर भवन प्लान की स्वीकृति हेतु आपके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में Gr (Parking)+2+3rd (Part)+4th (Part) तल के आवासीय भवन के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

1. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाए जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी भी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की उँचाई/मंजिल की संख्या एवं निर्माण क्षेत्र (Builtup Area) में वृद्धि नहीं होगी।
3. भवन प्लान में सेट बैक एवं ड्राइव वे के लिए दिखाई गयी खूली जगह एवं अन्य खूली जगह में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा। सामने से 1.50 मी० चौड़ी पट्टी एवं पीछे सड़क चौड़ीकरण हेतु दिखाई गयी भूमि को छोड़कर ही चारदिवारी का निर्माण करना होगा।
4. निर्माण की गुणवत्ता झारखंड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकन अद्यतन भारतीय मानकों (Indian Standard) के साथ-साथ IS 1893-2002 के भूकम्प रोधी मानक के आधार पर किया जाये। निर्माण कार्य संरचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियन्ता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
5. निर्माणकर्ता/अनुज्ञापिधारी अभियन्ता को निर्माण कार्य आरम्भ होने की सूचना विशेषकर पर प्लान/भूमि तल तक निर्माण हो जाने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को देनी होगी एवं दस दिनों के अन्दर इसकी जाँच कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
6. निर्माणकर्ता को विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के साथ-साथ ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक रूप में पर्याप्त क्षमता वाला ध्वनि व प्रदूषण रहित जेनरेटर लगाना होगा।
7. जल की उपलब्धता के लिए डीप बोरिंग नहीं किया जाएगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी। पर्याप्त क्षमता का सेप्टिक टैंक व सोकपिट का निर्माण करना होगा।
8. अग्नि सुरक्षा के लिए सभी तलों पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र (डी० सी० पी०) का प्रावधान करना होगा।
9. Rain water Harvesting के साथ Ground water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50% फ्लाइंग एस ब्रिक्स (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।
11. चहारदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेंवमेंट का निर्माण तथा पेड लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन-उपनियम के अनुसार किया जाएगा। विद्युततडित चालक (Lightning Conductor) की व्यवस्था मानक के अनुसार निश्चित रूप से करनी होगी।
12. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड (सूचना पट) लगाना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम एवं पता, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान का परमिट संख्या कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
13. स्वीकृत भवन प्लान की वैधता तीन वर्ष तक रहेगी। इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को विहित प्रपत्र में सूचना देनी होगी तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
14. अक्षेस के प्लानिंग स्टेनडर्ड एवं बिल्डींग बाइलाज 2007 में वर्णित अन्य प्रभावी कडिकाओं का पालन करना होगा। भवन निर्माण के दौरान जमशेदपुर अक्षेस द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है, तो उसे निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 में वर्णित संबंधित कडिकाओं का पूर्णतः पालन करना होगा।
16. भवन प्लान की स्वीकृति से प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि/किसी अन्य की टाइटिल वाली भूमि पर किसी भी हालात में भवन निर्माण नहीं किया जायेगा, अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।

Wm  
99.04.09

सहायक अभियन्ता,

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।

विशेष पदाधिकारी

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।



# मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कडिका 7.1 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)

परमिट संख्या:- 05 / 2018

दिनांक: 19.04.2018

सेवा में

श्रीमती गीता वर्मन, पति- स्व० सुनील कुमार वर्मन,  
गुरुद्वारा बस्ती, मानगो, जमशेदपुर।  
के पॉवर ऑफ एटार्नी धारक,  
श्री सुभाष चन्द्र मुनका, पिता स्व० बनवारी लाल,  
आशा, 9th Avenue, साउथ पार्क, विद्यटपुर, जमशेदपुर।

महाशय,

प्लॉट संख्या:- 3866,3867 खाता संख्या:- 128 मौजा:- मानगो वार्ड सं०- 10 पर पूर्व में इस कार्यालय के परमिट संख्या 43/2016 दिनांक 18.04.2016 द्वारा स्वीकृति के आलोक में पुनरीक्षित आवासीय भवन Ground Floor (Parking) + 4th Floor (Residential) उचाई 14.95 मीटर कुल ईकाई 16 अदद आवासीय भवन के प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की उँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड भवन निर्माण विभाग/भारतीय मानक/भारतीय भवन संहिता की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापतिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेवमेन्ट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माणकर्ता को अपार्टमेन्ट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. निर्माणकर्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में घनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
7. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा।
8. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
9. भवन निर्माण में 50 प्रतिशत फ्लोई एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
10. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ.क्षे.स. को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
11. मानगो बिल्डिंग बाई लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
12. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ.क्षे.स. द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
13. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
14. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
15. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
16. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापतिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
17. यह परमिट निर्माण हेतु निर्गत तिथि से मात्र दो वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगी।

28.03.18

सहायक अभियंता  
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति  
जमशेदपुर।

विशेष पदाधिकारी

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति पदाधिकारी

जमशेदपुर

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति



# मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कडिका 71

पुनरीक्षित परमिट संख्या - 43 / 16

के तहत भवन प्लान की स्वीकृति

दिनांक 18/04/16

सेवा में,

श्रीमती गीता देवी वर्मन, पति- स्व० सुनील कुमार वर्मन,  
गुरुद्वारा बस्ती, मानगो, जमशेदपुर के  
पॉवर ऑफ एटार्नी धारक- श्री सुभाष चन्द्र मुनका,  
पिता- स्व० बनारसी लाल,  
आशा 9<sup>th</sup> Avenue, साउथ पार्क, बिन्दुपुर, जमशेदपुर।

महाशय,

प्लॉट संख्या- 3866, 3867 खाता संख्या- 128, मौजा- मानगो, वार्ड सं०-10 पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में आवासीय भवन प्लान Ground Floor (Parking) + 3<sup>rd</sup> Floor (Residential) Height:- 10.50 M, कुल इकाई- 12 अदद आवासीय इकाई के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड भवन निर्माण विभाग/भारतीय मानक/भारतीय भवन संहिता की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिचारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने चहारदिवारी का निर्माण, लाइटिंग पोल की व्यवस्था पेवमेन्ट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ-क्षे-स- कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉट/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्ता को अपार्टमेन्ट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50 प्रतिशत फ्लाइंग एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ-क्षे-स- को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. मानगो बिल्डिंग बाई लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ-क्षे-स- द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
16. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
17. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिचारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
18. विभागीय निदेश के आलोक में वाणिज्य कर विभाग से TIN No. प्राप्त करना आवश्यक है। अतः तीन माह के अंदर TIN No. इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।
19. यह परमिट निर्माण हेतु निर्गत तिथि से मात्र तीन वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगी।

5810316  
सहायक अभियंता,

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,  
जमशेदपुर।

18.4.16

विशेष पदाधिकारी  
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति  
जमशेदपुर